रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487]	**नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 23, 2013/आश्विन 1, 1935**
No. 487]	**NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 23, 2013/ASVINA 1, 1935**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 649(अ).--केंद्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 9क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रक पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.--(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) संशोधन, आदेश, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रक पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 4 के उप-खंड (2) में "क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को प्रारूप ख में करना होगा" शब्दों के स्थान पर, "अधिकारिता रखने वाले आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को प्रारूप ख में और ऐसी रीति में, जो महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरों द्वारा निर्दिष्ट की जाए, किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त आदेश के खंड 7 में, उप-खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

(3) नियंत्रित पदार्थों के परेषण की प्राप्ति की अभिप्राप्ति परेषिती से सम्यक् रूप से पृष्ठांकित दूसरी प्रति के प्राप्त न होने की दशा में परेषणकर्ता, परेषिती से एक घोषणा के माध्यम से पूर्ण परेषण की प्राप्ति की पुष्टि सुनिश्चित करने के लिए परेषिती से संपर्क करेगा और परेषण की अप्राप्ति या भागतः प्राप्ति की दशा मे परेषणकर्ता, परेषण के प्रेषित किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर खंड 4 के उप-खंड (8) में उपबंधित रीति में परेषण के खो जाने या गायब हो जाने की रिपोर्ट करेगा ।

4. उक्त आदेश के खंड 10 के उप-खंड (5) में, "बीजक, स्थोरा माल सूची, सीमा-शुल्क, परिवहन" शब्दों के स्थान पर, "सीमा-शुल्क प्रमाणित बीजक" शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त आदेश के खंड 11 के उप-खंड (5) में, "बीजक, स्थोरा माल सूची, सीमा-शुल्क, परिवहन" शब्दों के स्थान पर, "सीमा-शुल्क प्रमाणित बीजक" शब्द रखे जाएंगे ।

6. उक्त आदेश के परिशिष्ट में, सारणी की क्रम सं0 1 और 3 के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

1.	"(क) दिल्ली के संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र से मिलकर बना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र सम्मिलित हैं । (ख) हरियाणा राज्य । (ग) उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मुजफ्फरनगर, प्रबुद्धनगर और सहारनपुर । (घ) उत्तराखंड राज्य ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली आंचलिक इकाई, वेस्ट ब्लाक नं0 1, विंग नं0 7, द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066, फैक्स नं0 011-26181449
2.	उत्तर प्रदेश राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित राज्य और मुजफ्फरनगर, प्रबुद्धनगर और सहारनपुर जिलों के क्षेत्रों को छोड़कर)	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बी-912, सेक्टर-ए, सीआईडी कालोनी, महानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश फैक्स नं0 0522-2339411"

7. उक्त आदेश में "प्ररूप-क" के स्थान पर निम्नलिखित "प्ररूप" रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप-क

[खंड 4 का उप-खंड (1) देखें]

अनुसूची क में, नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण/वितरण/विक्रय/क्रय/कब्जा/भंडारण/उपभोग के लिए रजिस्ट्रीकरण

अनन्य रजिस्ट्रीकरण सं................... जारी करने की तारीख...................

....................(नाम और पता).........................को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 2013 की अनुसूची क में, नियंत्रित पदार्थ की बाबत नीचे यथाविनिर्दिष्ट परिसरों से क्रियाकलाप करने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया जाता है :

परिसर का पता	नियंत्रित पदार्थ/पदार्थों के नाम	क्रियाकलाप की प्रकृति*

* कृपया क्रियाकलापों की निम्नलिखित सूची में से एक या अधिक का चुनाव करें :

(i) विनिर्माण	(iii) विक्रय	(v) कब्जा	(vii) उपभोग
(ii) वितरण	(iv) क्रय	(vi) भंडारण	(viii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

2. यह रजिस्ट्रीकरण नीचे वर्णित शर्तों और कुछ ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन है जो स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन तत्समय प्रवृत्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो कार्यालय का पता :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम ; आंचलिक निदेशक

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के कार्यालय की मुद्रा

..............आंचलिक इकाई

रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

1. यह रजिस्ट्रीकरण अंतरणीय नहीं है ।

2. यह रजिस्ट्रीकरण अनुमोदित परिसर में रखा जाएगा और इस रजिस्ट्रीकरण को जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अभिहित/प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुरोध पर प्रस्तुत किया जाएगा ।

3. अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थ से भिन्न किसी अन्य पदार्थ के लिए, जिसके लिए यह रजिस्ट्रीकरण जारी किया गया है का विनिर्माण या व्यवसाय उसमें उल्लिखित क्रमिक परिसर में नहीं किया जाएगा ।

4. इस रजिस्ट्रीकरण का धारक, इस रजिस्ट्रीकरण में उल्लिखित महत्वपूर्ण ब्यौरों में किसी भी परिवर्तन, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के अधीन प्रचालित व्यक्ति या अस्तित्व का गठन भी है, की लिखित में सूचना पंद्रह दिन के भीतर जारी करने वाले प्राधिकारी को देगा और इस रजिस्ट्रीकरण के अधीन प्रचालित व्यक्ति या अस्तित्व के गठन में परिवर्तन की दशा में, ऐसे परिवर्तन से तीन मास के भीतर जारी करने वाले प्राधिकारी से परिवर्तित गठन सहित उस व्यक्ति या अस्तित्व के नाम से नया रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करना होगा ।"

8. उक्त आदेश में "प्ररूप-ख" के स्थान पर निम्नलिखित "प्ररूप" रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप-ख

[खंड 4 का उपखंड (2) देखें]

अनुसूची क में, नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण/वितरण/विक्रय/क्रय/कब्जा/भंडारण/उपभोग के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन

******

केवल कार्यालय उपयोग के लिए			
रजिस्ट्रीकरण संख्या		**जारी करने की तारीख**	

भाग -1

क. आवेदक का नाम (कृपया फर्म/कंपनी/न्यास/सोसाइटी, आदि के नाम का उल्लेख करें) :

ख. परिसर के ब्यौरे, रजिस्ट्रीकरण चाहे गए नियंत्रित पदार्थ के क्रियाकलाप का नाम और उसकी प्रकृति :

परिसर का पता	परिसर का प्रकार (कारखाना/भांडागार/ व्यापारिक स्थापन)	परिसर के अधिभोग की प्रकृति (स्वयं का/किराये पर/पट्टे पर/आडमान के अधीन/अन्य) (ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	केंद्रीय उत्पाद शुल्क खंड का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे	नियंत्रित पदार्थ/पदार्थों के नाम	क्रियाकलाप की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(i) कृपया संपूर्ण ब्यौरे दें अर्थात् प्लाट संख्या/परिसर संख्या/गली/अवस्थान/शहर/राज्य या संघ राज्यक्षेत्र/ पोस्टल इंडेक्स नम्बर/टेलीफोन/फेसिमाइल नम्बर;

(ii) एक आवेदन में एक से अधिक पते भी रजिस्ट्रीकृत किए जा सकते हैं यदि दोनों स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के उसी आंचल की अधिकारिता में आते हों;

(iii) यदि रजिस्ट्रीकरण एक से अधिक परिसर, एक से अधिक नियंत्रित पदार्थ और एक से अधिक क्रियाकलाप के लिए अपेक्षित है, तो कृपया पदार्थानुसार किसी विशिष्ट परिसर से किए जाने वाले विशिष्ट क्रियाकलाप को उपदर्शित करें ;

(iv) कृपया निम्नलिखित क्रियाकलापों में से एक या अधिक का चुनाव करें (उपयुक्त खाने में ✓ का निशान लगाएं) :

(1) विनिर्माण		(2) वितरण	
(3) विक्रय		(4) क्रय	
(5) कब्जा		(6) भंडारण	
(7) उपभोग		(8) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

(ग) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का अधिकारिता रखने वाला आंचलिक कार्यालय (आदेश के परिशिष्ट की सारणी को निर्दिष्ट करें) : ....

(घ) रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि आवेदक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के दूसरे आंचल में रजिस्ट्रीकृत है (यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है तो उसके ब्यौरे) ....

(ङ) रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि आवेदक ने आदेश के खंड 5 के अधीन पहले रजिस्ट्रीकरण को अभ्यर्पित कर दिया था ।

भाग 2

(क) आवेदक द्वारा अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण से संबंधित सूचना :

नियंत्रित पदार्थ का नाम	संस्थापित उत्पादन क्षमता (वार्षिक—किलोग्राम में)	अंतिम तीन (3) वर्षों में विनिर्मित मात्रा—किलोग्राम में	प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री का नाम (वजनानुसार)	स्वयं के उपभोग के लिए, विक्रय के लिए या दोनों के विनिर्मित किया गया

(ख) आवेदक द्वारा अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थ के उपभोग से संबंधित सूचना :

नियंत्रित पदार्थ का नाम	उपभोग के पश्चात् अंतिम उत्पाद/उत्पादों का नाम, प्रकृति और विवरण	प्रयुक्त अन्य प्रमुख कच्ची सामग्री का नाम (वजनानुसार)	संस्थापित उपभोग क्षमता (वाषिक—किलोग्राम में)	अंतिम तीन (3) वर्षों में उपभोग की गई मात्रा—किलोग्राम में

भाग 3

(क) आवेदक का डाक का पूर्ण पता- पिनकोड/टेलीफोन/फैक्स नं0 (सिटी कोड सहित)/ई-मेल आईडी सहित :

(ख) स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) :

(1) पैन (यदि जारी किया गया है)

(2) आवेदक का नाम- जैसा पैन में उल्लिखित है :

(3) यदि पैन जारी नहीं किया गया है तो क्या उसके लिए आवेदन किया गया है : हां (Y)/नहीं (N) ☐

(इस भाव के साक्ष्य की प्रति संलग्न या अपलोड की जाएगी)

(ग) कारबार का गठन (कृपया उपयुक्त खाने में ✓ का निशान लगाएं)

स्वत्वधारिता		भागीदारी	
रजिस्ट्रीकृत कंपनी		अरजिस्ट्रीकृत कंपनी	
न्यास		सोसाइटी	
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			

टिप्पण : भागीदारी फर्म की दशा में, भागीदारी के ब्यौरे ; रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत कंपनी की दशा में, अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के ब्यौरे ; सोसाइटी या न्यास की दशा में, अध्यक्ष या सभापति और सदस्यों/न्यासियों के ब्यौरे और अन्य दशा में कारबार के प्रबंध में लगे प्रमुख कार्मिक के ब्यौरे, एक पृथक् पृष्ठ में दिए जाने हैं । ब्यौरों के अंतर्गत नाम/पिनकोड/टेलीफोन/फैक्स नं. (सिटी कोड सहित)/ई-मेल आईडी सहित डाक का पूर्ण पता/किसी सरकारी संगठन या निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र की प्रति ।

(घ) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति और प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और पता :

(1) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति :

नाम	
पदनाम	
पता	
संपर्क नम्बर	
ई-मेल आईडी	
पैन (स्थायी लेखा संख्यांक)	

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दोषसिद्ध/लंबित मामले (यदि हां, तो ब्यौरे पृथक् पृष्ठ पर दिए जाने चाहिए)	हां (Y)/नहीं (N)
नमूना हस्ताक्षर	
किसी सरकारी संगठन या निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र की एक प्रति संलग्न करें या अपलोड करें	

टिप्पण- (1) सभी प्राधिकृत व्यक्तियों की बाबत पूर्वोक्त ब्यौरे पृथक् पृष्ठ पर दिए जाएंगे ।

(2) सभी व्यक्तियों की बाबत प्राधिकार पत्र की प्रति संलग्न या अपलोड की जाएगी ।

भाग -4

(क) सरकारी अभिकरणों या विभागों से अभिप्राप्त किए गए कारबार संव्यवहार संख्याएं :

		.........तक विधिमान्य
केंद्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या		
केंद्रीय विक्रय कर संख्या		
राज्य विक्रय कर संख्या		
विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्या		
सीमा शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या		
महानिदेशालय विदेशी व्यापार आयात निर्यात कोड संख्या		
कंपनी रजिस्ट्रार सीआईएन संख्या		
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति		
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

भाग-5

(क) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन दोषसिद्ध और लंबित मामलों के ब्यौरे ।

(ख) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन जारी किए गए आदेश के ब्यौरे, यदि कोई हों ।

टिप्पण- इस भाग में स्वत्वधारी, भागीदारी फर्म की दशा में सभी भागीदार, रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत कंपनी की दशा में अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/सभी निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सोसाइटी या न्यास की दशा में अध्यक्ष और सदस्य/न्यासी और अन्य की दशा में कारबार के प्रबंध में लगे मुख्य कार्मिक की बाबत सूचना (पृथक् पृष्ठ में) दी जाए ।

घोषणा

मैं,..यह घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारियां हर तरह सही, सत्य और पूर्ण हैं ।

यह कि मैं आवेदक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं । (यदि लागू न हों तो काट दें)

तारीख :

स्थान : (आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर)

अनुलग्नकों की सूची :

(1)............................

(2)................................

(3).................................

(4)................................

(5).....................................

(6)....................................

(7).....................................

टिप्पण -क : आवेदन के साथ आज्ञापक रूप से संलग्न/अपलोड किए जानेवाले दस्तावेज :

1. आवेदन करने और उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्राधिकार पत्र
2. आवेदन करने और उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पैन (स्थायी लेखा संख्यांक)
3. आवेदक का पैन (स्थायी लेखा संख्यांक)
4. निगमन/भागीदारी विलेख/किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के किसी अन्य लिखत का प्रमाणपत्र
5. परिसर के स्वामित्व/कब्जा का दस्तावेजी साक्ष्य जैसे - हक विलेख, पट्टा विलेख, किराया करार
6. ओषध निर्माण पदार्थों/निर्मितियों में व्यवहार करने वाले किसी आवेदक की दशा में ओषधि अनुज्ञप्ति/किसी आयातकर्ता/निर्यातकर्ता की दशा में आयात-निर्यात कोड

टिप्पण- ख :

(1) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने चाहिए ।

(2) इस आवेदन पत्र को जमा करते समय जो जानकारी उपलब्ध नहीं है वह रजिस्ट्रीकरण जारी होने के पश्चात् भी, जब कभी उपलब्ध हो, प्रदान की जाएगी ।"

9. उक्त आदेश के प्ररूप-ञ में बिन्दु संख्या 8 में "(विक्रय की दशा में)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. एन-11012/3/2010-एनसी-II]

तपन कुमार सतपथी, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश, भारत के असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 191(अ), तारीख 26 मार्च, 2013 को प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2013

G. S. R. 649 (E).—In exercise of the powers conferred by section 9A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government, hereby makes the following Order to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) This Order shall be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Amendment Order, 2013.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 4, in sub-clause (2), after the words "over the area", the words "and in the manner as may be specified by the Director General, Narcotics Control Bureau" shall be inserted.

3. In the said Order, in clause 7, for sub-clause (3), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

(3) In case of non-receipt of duplicate copy duly endorsed by the consignee acknowledging the receipt of the consignment of controlled substance, the consignor shall follow up with the consignee to secure confirmation of the receipt of the consignment in full through a declaration from the consignee and in case of non-receipt or part-receipt of the consignment, the consignor shall report loss or disappearance of the consignment in the manner provided in sub-clause (8) of clause 4 within forty-five days from the date of dispatch of the consignment.

4. In the said Order, in clause 10, in sub-clause (5), for the words "invoice, cargo manifests, customs, transport", the words "customs attested invoice" shall be substituted.

5. In the said Order, in clause 11, in sub-clause (5), for the words "invoice, cargo manifests, customs, transport", the words "customs attested invoice" shall be substituted.

6. In the said Order, in the Appendix, for the entries against Sl. No. 1 and 3 of the Table, the following shall be substituted, namely:—

1.	"(A) National Capital Region comprising the whole of the Union territory of Delhi and the areas of Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh included therein. (B) State of Haryana. (C) Districts of Muzaffarnagar, Prabudhnagar and Saharanpur in the State of Uttar Pradesh. (D) State of Uttarakhand.	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Delhi Zonal Unit, West Block No. 1, Wing No. 7, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi – 110066. Fax No. 011-26181449
3.	State of Uttar Pradesh (excluding the areas of the State included in the National Capital Region and the Districts of Muzaffarnagar, Prabudhnagar and Saharanpur).	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, B-912, Sector-A, CID Colony, Mahanagar Lucknow, Uttar Pradesh. Fax No. 0522-2339411"

7. In the said Order, for "Form-A", the following "Form" shall be substituted, namely:—

"FORM A
[See sub-clause (1) of Clause 4]

Registration for manufacture / distribution / sale / purchase / possession / storage / consumption of controlled substance in Schedule –A

Unique Registration No………………………………Date of Issue…………………………

………………………(Name and Address)……..is hereby registered to engage in activities in respect of controlled substance in Schedule A to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013 from the premises as specified below:

Address of the premises	Name(s) of the Controlled Substance	Nature of Activity*

*Please choose one or more from the following list of Activities:

(i) Manufacture	(iii) Sale	(v) Possession	(vii) Consume
(ii) Distribute	(iv) Purchase	(vi) Storage	(viii) Others (specify)

2. This registration is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the Order for the time being in force under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985(61 of 1985).

Narcotics Control Bureau office address:

Signature:
Name:
Designation; Zonal Director

OFFICE SEAL NARCOTICS CONTROL BUREAU

…………………. Zonal Unit

CONDITIONS OF REGISTRATION

1. This registration is not transferable.
2. This registration shall be kept on the approved premises and shall be produced at the request of an officer designated/authorized by the authority issuing this registration.
3. No controlled substance in schedule-A, other than the substance for which registration has been issued, shall be manufactured or dealt with in the respective premises mentioned therein.
4. The holder of this registration shall inform the issuing authority in writing, within fifteen days, of any change in the material details mentioned in the registration including the constitution of the person or the entity operating under the registration and in the event of a change in the constitution of the person or the entity operating under the registration, a fresh registration must be obtained from the issuing authority in the name of the person or the entity with the changed constitution within three months of such change."

8. In the said Order, for "Form-B", the following "Form" shall be substituted, namely:—

"FORM B

[See sub-clause (2) of clause 4]

Application for registration for manufacture / distribution / sale / purchase / possession / storage / consumption of controlled substance in Schedule-A.

For Official Use only			
Registration Number		**Date of Issue**	

Part-I

A. Name of the Applicant (please mention the name of the firm/company/trust/society etc):

B. Details of Premises, Name and Nature of Activity of the Controlled Substance sought to be registered:

Address of the premises	Type of Premises (Factory/ Ware-house/Trading Establishment)	Nature of occupation of the premises (self owned/rent/lease/under hypothecation/others	Name, Address and Contact Details of the Jurisdictional	Name(s) of the Controlled Substance	Nature of Activity

		(specify details)	Central Excise Range		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(i) Please provide complete details viz. plot number/premises number/street/locality/city/state or Union territory/Postal Index Number/Telephone/Facsimile number;

(ii) More than one address can be registered in one application if both fall in the jurisdiction of the same Zone of Narcotics Control Bureau;

(iii) If registration is required in case of more than one premises, more than one Controlled substance and more than one activity, please indicate the specific activities to be undertaken from a particular premises substance-wise;

(iv) Please choose one or more from following Activities (Please put √ in appropriate box):

(1) Manufacture		(2) Distribution	
(3) Sale		(4) Purchase	
(5) Possession		(6) Storage	
(7) Consumption		(8) Others (Please specify)	

(C) Jurisdictional Zonal Office of the Narcotics Control Bureau (Refer the Table at Appendix to the Order):___________________

(D) Registration Number, if the applicant has registered with another Zone of the Narcotics Control Bureau (If applied for registration details thereof): ___________________________

(E) Registration Number, if the applicant had earlier surrendered the registration under clause–5 of the Order:____

Part-II

(A) Information relating to manufacture of controlled substance in Schedule-A by the applicant :

Name of controlled substance	Installed Production Capacity (Annual - in Kilogram)	Quantity manufactured in last three (3) years in Kilogram	Name of principal raw materials (by weight) used	Manufactured for self consumption or sale or both

(B) Information relating to consumption of controlled substance in Schedule-A by the applicant :

Name of controlled substance	Name, Nature and description of end product (s) after consumption	Name of other principal raw materials (by weight) used	Installed Consumption Capacity (Annual - in Kilogram)	Quantity consumed in last three (3) years in Kilogram

Part-III

(A) Complete postal address with PIN Code / Telephone / Fax Number (with city code) / e-mail ID of the Applicant:

(B) Details of Permanent Account Number (PAN) :

(1) PAN (If issued) :

(2) Name of the applicant as appearing in PAN :

(3) If PAN is not issued, whether applied for : Yes (Y) / No (N) ☐
(Copy of proof to this effect shall be attached or uploaded)

(C) Constitution of the business (Please put √ in appropriate box)

Proprietorship		Partnership	
Registered Company		Unregistered Company	
Trust		Society	
Others (Please specify)			

Note: In the case of a partnership firm, details of partnership; in the case of a registered or unregistered company, details of the Chairman / Managing Director / Director / Chief Executive Officer; in the case of Society or Trust, details of the Chairman or President and Members / Trustee and in case of others, details of the key personnel engaged in the management of the business are to be provided in a separate sheet. Details shall include name / complete postal address with PIN Code / Telephone / Fax Number (with city code) / e-mail ID / copy of photo identity card issued by a Government Organisation or the Election Commission.

(D) Name designation and address of the person signing the Application Form and of the authorised persons:

(1) Person signing the Application Form:

(2)

Name	
Designation	
Address	

Contact numbers	
e-mail ID	
PAN (Permanent Account Number)	
Conviction/pending cases under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (If yes, details should be given in a separate sheet).	Yes (Y) / No (N)
Specimen signature	
One copy of photo identity card issued by a Government Organisation or the Election Commission to be attached or uploaded	

Note: (1) Above details in respect of all authorised persons shall be given in a separate sheet.

(2) Copy of the authorisation letter in respect of all persons shall be attached or uploaded

Part-IV

(A) Business transaction Numbers obtained from Government Agencies or Departments:

		Validity up to
Central excise registration number		
Central sales tax number		
State sales tax number		
Sales tax registration number		
Customs registration number		
Directorate General of Foreign Trade's Import Export Code Number		
Registrar of Companies CIN Number		
Licence (s) issued under the Drugs and Cosmetics Act, 1940		
Others (please specify)		

Part-V

(A) Details of conviction and pending cases under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the Customs Act, 1962 and the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

(B) Details of order, if any, issued under the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 and the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974.

Note: In this part, information may be provided (in separate sheet) in respect of the proprietor, all the partners in the case of a partnership firm, Chairman / Managing Director / all Directors / Chief Executive Officer in the case of a registered or unregistered Company, Chairman or President and Members / Trustee in the case of Society or Trust, and key personnel engaged in the management of the business in case of others.

DECLARATION

I,___________________________________ hereby declares that the information given in this Application Form is true, correct and complete in every respect.

That I am authorised to sign on behalf of the applicant (Strike down if not applicable).

Date :

Place (Signature of the applicant / authorised person with stamp)

List of enclosures:

(1) ________________________
(2) ________________________
(3) ________________________
(4) ________________________
(5) ________________________
(6) ________________________
(7) ________________________

Note-A: Documents to be mandatorily attached or uploaded with the application:

1. Letter of authorization in favor of person making and signing the application
2. PAN of person making and signing the application
3. PAN of the Applicant
4. Certificate of incorporation / Partnership Deed / any other instrument of registration issued by a Government authority
5. Documentary proof of ownership/possession of the premises –e.g., Title Deed, Lease Deed, Rent Agreement
6. Drug Licence in case of an applicant dealing with pharmaceutical substances / preparations / Import Export Code in case of an importer/exporter

Note -B:

(1) Application Form should be signed on each page by the applicant / authorised person.

(2) Any information not available at the time of submitting this Application Form shall be provided as and when available, even after the issue of registration."

9. In the said Order, in Form-J, point number 8, the words and brackets "(in case of re-sale)" shall be deleted.

[F. No. N-11012/3/2010-NC-II]

TAPAN KUMAR SATPATHY, Under Secy.

Note.—The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.191(E), dated the 26th March, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.